08 – प्रस्तावित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम –

अधीनस्थ कृषि सेवा (वर्ग -3) प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 हेतु परीक्षा योजना (अनन्तिम) एवं पाठ्यक्रम निम्नवत है -

परीक्षा योजना (अनन्तिम)

क्र०सं०	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	परीक्षा अवधि
1.	भाग-1 सामान्य बुद्धि परीक्षण	50	100	2 घंटा
2.	भाग-2 सामान्य ज्ञान	50	100	
3.	भाग-3 सामान्य विज्ञान तथा अंक गणित	50	100	
4.	भाग-4 सामान्य हिन्दी	50	100	
कुल योग		200	400	

उपरोक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग दिये जाने का (ऋणनात्मक अंक) प्रावधान किया जा रहा है, जो कुल 50 प्रतिशत होगी अर्थात दो प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न का अंक काटा जाएगा।

पाठयक्रम

भाग 1-सामान्य बुद्धि परीक्षण

(1) युक्ति संगत एवं आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता।

(2) सामान्य मानसिक योग्यता – ऐसे प्रश्न जिनसे, अभ्यर्थी की परिणाम परक अभिक्षमता की परख हो सके ।

(3) सांख्यकीय विश्लेषण ग्राफ और डायग्राम - जिनसे अभ्यर्थियों की सांख्यकीय, ग्राफकीय, डायग्राम संबंधी प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान संबंधी परिणाम, निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख हो सके।

भाग 2-सामान्य ज्ञान

(1) कम्प्यूटर ज्ञान - कम्प्यूटर का परिचय हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेर, कम्प्यूटर नेटवर्क एवं ईमेल।

(2) उत्तर प्रदेश पर आधारित विशिष्ट प्रश्न शिक्षा, संस्कृति, कृषि ,जनसंख्या , व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक प्रथाएं, ललित कला, लोक कलाएं (गायन, संगीत नाटक आदि विधायों की सामान्य जानकारी) आदि।

(3) अंत: वैयक्तिक क्षमता जिसमे सम्प्रेषण कौशल, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान भी समाहित होगा।

(4) सामान्य मानव व्यवहार - अनुशासन, नैतिकता, नेतृत्व, महिलाओं का सशक्तिकरण।

(5) भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन – भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक , आर्थिक एवं राजनैतिक पक्षों की सामान्य जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतन्त्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति की सारपरक जानकारी अपेक्षित है।

(6) भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल - भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबन्धित प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी।

(7) भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायतीराज, लोकनीति एवं अधिकारित मुद्दे आदि - भारतीय राजनीति एवं शासन के अंतर्गत देश के संविधान, पंचायतीराज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबन्धित प्रश्न होंगे ।

(8) भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास एवं गांधी विचारधारा – अभ्यर्थियों का जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण से संबन्धित समस्याओं एवं पारस्परिक संबंध, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा । बैंकिंग, बहीलेखन और लेखाशास्त्र आदि से संबंधी प्रश्न होंगे ।

(9) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ- इसमे खेल कूद के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे ।

(10) भारतीय कृषि भारत में कृषि- कृषि उत्पाद एवं उसके विपणन के संबंध में जानकारी की अपेक्षा अभ्यर्थियों से होगी ।

<u>भाग 3-सामान्य विज्ञान तथा अंक गणित</u>

(1) सामान्य विज्ञान – सामान्य विज्ञान (जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान) के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबन्धित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परोबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो । इसमे भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका संतुलित आहार , कैलोरी डिस्ट्रिब्यूशन, प्रोटीन, विटामिन, डायरिया, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियाँ एवं बचाव, एनिमिया, विभिन बीमारियों में भोज्य पदार्थ का महत्व, टीकाकरण का महत्व, जलचक्र, जलस्रोत के प्रकार, पेयजल गुणवत्ता के मानक, एक्यूफर, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेजीस्टिविटी सर्वेक्षण आदि से संबन्धित प्रश्न पूछे जाएंगे ।

(2) प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक – इसमें अंक गणित, बीजगणित एवं रेखागणित से संबन्धित प्रश्न होंगे ।

<u>भाग 4-सामान्य हिन्दी</u>

(1) अपठित गद्यान्श का संक्षेपण, उससे संबन्धित प्रश्न, रेखांकित अंशो की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक ।

(2) शासकीय, अर्द्धशासकीय, वैयक्तिक तथा व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबन्धित को संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र संबंधी प्रश्न ।

(3) वर्ण एवं ध्वनि विचार : उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा-पहचान और प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरण ।

(4) शब्दरचना : संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग , प्रत्यय ।

(5) शब्द प्रकार : (क) तत्सम, अर्द्धतत्सम, तदभव, देशज, विदेशी ।

(ख) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय (क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयबोधक निपात)

(6) शब्द ज्ञान : पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली ।

(7) शब्द शुद्धि ।

(8) व्याकरणिक कोटियां : परसर्ग, लिंग, वचन, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य ।

(9) वाक्य रचना, प्रकार- सरल, संयुक्त, मिश्र, वाक्य शुद्धि ।

(10) विराम चिन्हों का प्रयोग ।
(11) मुहावरें / लोकोक्तियाँ
(12) अनुवाद : समतुल्य शब्द चयन, वाक्यांश का अर्थ ।
(13) उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ ।
(14) हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद ।
(15) हिन्दी भाषा / हिन्दी साहित्य का सामान्य ज्ञान ।

09 - अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश-

(1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

(2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी अनुमन्य होगी ।

(3) **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक, विकलांग तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हे आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है । ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे । उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगा ।**

(4) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।

(5) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा ।

(6) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो । ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(7) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं ।